जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 6196 / 2024 दिनांकः 22 मार्च, 2024

शीर्ष प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

2. प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण तथा पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया पार्श्व में संलग्न कार्यालय जिलाधिकारी, बलिया के पत्र संख्या–118 / रोजगार संगम / पोर्टल / सेवायोजन / 2024 / 52, दिनांकः 22 जनवरी, 2024 सपठित निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–144 / ई–2 / रोजगार संगम / पोर्टल / 2021, दिनांकः 15 मार्च, 2024 (छायाप्रतियाँ संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रोजगार आयोग के निर्देश के क्रम में वर्तमान परिवेश की अवश्यकताओं के फलस्वरूप युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in को विकसित करते हुए बेरोजगारों के हितार्थ एकीकृत पोर्टल पर कैम्पस प्लेसमेन्ट, डायरेक्ट हायरिंग, विदेशों में रोजगार, आनलाईन काउन्सिलिंग एवं लर्निंग मैनेजमेन्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

तत्क्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि कृपया संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपने–अपने महाविद्यालय से सम्बन्धित विद्यार्थियों का पंजीयन सुनिश्चित करते हुए तद्नुक्रम में यथावश्यकतानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(एस0 एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. माननीय कुलपति जी।
2. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, बलिया।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
5. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

कार्यालय,जिलाधिकारी बलिया

पत्रांक– 118 / रोजगार संगम / पोर्टल / सेवायोजन / 2024/52 दिनांक– 22.03.2024

सेवा में,

1. कुलसचिव,
   जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
2. समस्त प्रधानाचार्य
   सरकारी / नीजी आई0टी0आई0, बलिया
3. समस्त प्रधानाचार्य,
   सरकारी / नीजी पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग,पैरामेडिकल
   फार्मा इंस्टीटयूट एवं नर्सिंग,कालेज, बलिया
4. समस्त प्राचार्य,
   सरकारी / नीजी महाविद्यालय, बलिया
5. समस्त सरकारी / नीजी नियोजक
   बलिया
6. महाप्रवन्धक,
   जिला उद्योग केन्द्र बलिया

विषय– **रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण तथा पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओ के संवंध में ।**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 144 / ई–2 /रोजगार संगम /पोर्टल/2021 दिनांक– 15 मार्च 2024 का अवलोकन करना चाहें, जिसमे रोजगार आयोग के निर्देश के कम में वर्तमान परिवेश की आवश्यकताओं के फलस्वरूप युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उददेश्यों के दृश्टिगत श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in को विकसित किया गया हैं । बेरोजगारो के हितार्थ एकीकृत पोर्टल पर कैम्पस प्लेसमेंट, डायरेक्ट हायरिंग,विदेशों में रोजगार आनलाइन काउन्सिलिग एवं लर्निंग मैनेजमेंट की व्यवस्था विकसित की गयी है –

1. जनपद के समस्त सरकारी / नीजी संस्थानों यथा आई0टी0आई0 ,पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, / मैनेजमेंट इंस्टीटयुट ,फार्मा इंस्टीटयुट ,पैरामेंडिकल एवं नर्सिंग कालेज ,स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयो,आदि द्वारा एकीकृत पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हैं ।
2. संस्थानो के पंजीकरण के साथ ही संस्थान के प्लेसमेंट सेल द्वारा संस्थान में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के छात्रों का पंजीकरण कराना आवश्यक है। छात्रो द्वारा स्वंय ही अपना पंजीकरण एकीकृत पोर्टल पर किया जायेगा। छात्रों के पंजीकरण के पश्चात संवंधित संस्थान उन छात्रों का विवरण (सी0वी0 सहित) की पूष्टि कें पश्चात पंजीकरण प्रकिया पूर्ण करेंगे।
3. संस्थान के प्लेसमेंट अधिकारी एवं सेवायोजन कार्यालय के समन्वय से कैम्पस प्लेसमेंट की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार पोर्टल के माध्यम से नियोजको द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कैम्पस इन्टरव्यु करने की व्यवस्था विकसित है।
4. वर्तमान में सी0एन0वी0 एक्ट–1959 के अन्तर्गत सेवायाजन कार्यालय में नियोजक पंजिका पर अभिज्ञानित 25 से अधिक कार्यरत कार्मिको वाले नीजी क्षेत्र के संस्थानों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना है। इसके अतिरिक्त जनपद के बड़े एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के पंजीकरण की कार्यवाही भी की जानी है।

5. एकीकृत पोर्टल पर अभ्यर्थियों के कैरियर मार्गदर्शन हेतु आनलाइन काउन्सिलिंग एवं लर्निंग मैनजमेंट की व्यवस्था विकसित हैं, जिसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा अपनी रूचि के कैरियर व कम्पनियों में भर्ती प्रकिया के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन सलाह ली जा सकती हैं। अतः इस हेतु विभिन्न कैरियर विषय विशषज्ञों का पोर्टल पर पंजीकरण की कार्यवाही की जानी हैं।

6. एकीकृत पोर्टल पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रो द्वारा भी अपनी रूचि/जिज्ञासा के अनुरूप पोर्टल पर उपलब्ध कैरियर मार्गदर्शन संवंधी बिडियोज के माध्यम से कैरियर विषय का चयन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेंगा ।

अतः रोजगार आयोग के आदेशों के कम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(रविन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी
बलिया

पत्रांकः /रोजगार संगम/पोर्टल/सेवायोजन/2024 तददिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी ,बलिया
3. जिला सेवायोजन अधिकारी बलिया को इस निर्देश के साथ कि संवंधित संस्थानो से समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

(रविन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी
बलिया

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: /ई–2/रोजगार संगम/पोर्टल/2021 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2024

विषय: रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से बेरोजगारों को उपलब्ध सेवाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि रोजगार आयोग के निर्देशों के क्रम में एवं वर्तमान परिवेश की आवश्यकताओं के फलस्वरूप युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्यों के दृष्टिगत श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल rojgaarsangam.up.gov.in का विकास कराया गया है। बेरोजगारों के हितार्थ एकीकृत पोर्टल पर कैम्पस प्लेसमेन्ट, डायरेक्ट हायरिंग, विदेशों में रोजगार, ऑनलाइन कॉउन्सिलिंग एवं लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था विकसित है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है–

1. जनपद के समस्त सरकारी/निजी संस्थानों यथा आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक, इन्जीनियरिंग/मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट, फार्मा इन्स्टीट्यूट, स्नातक/ स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि द्वारा एकीकृत पोर्टल पर संस्थानों का पंजीकरण कराने की कार्यवाही की जानी है।
2. संस्थानों के पंजीकरण के साथ ही उनकी प्लेसमेन्ट सेल द्वारा संस्थान में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के छात्रों का पंजीकरण भी कराया जाना है। छात्रों द्वारा स्वयं ही अपना पंजीकरण एकीकृत पोर्टल पर किया जाना है। छात्रों के पंजीकरण के पश्चात् सम्बन्धित संस्थान द्वारा उन छात्रों के विवरण (सी0वी0 सहित)की पुष्टि के पश्चात् उनकी पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होगी।
3. संस्थान के प्लेसमेन्ट अधिकारी एवं सेवायोजन कार्यालय के समन्वय से कैम्पस प्लेसमेन्ट कराने की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार पोर्टल के माध्यम से नियोजकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कैम्पस इन्टरव्यू करने की व्यवस्था विकसित है।
4. वर्तमान में सी0एन0वी0 एक्ट–1959 के अंतर्गत सेवायोजन कार्यालयों में नियोजक पंजीका में अभिज्ञानित 25 से अधिक कार्यरत कार्मिकों वाले निजी क्षेत्र के संस्थानों का पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना है। पंजीकरण से पूर्व इन संस्थानों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। जनपद के जो नियोजक सेवायोजन कार्यालय की नियोजक पंजीका में अभिज्ञानित नहीं हैं उनके द्वारा अधिनियम के अनुपालन के दृष्टिगत सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की कार्यवाही की जानी है।इसके अतिरिक्त जनपद के बडे एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के पंजीकरण की कार्यवाही भी की जानी है।

5- एकीकृत पोर्टल पर अभ्यर्थियों के कॅरियर मार्गदर्शन हेतु ऑनलाइन कॉउन्सिलिंग एवं लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था विकसित है। पोर्टल पर पंजीकृत कॅरियर सम्बन्धी विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के माध्यम से अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही **'विशेषज्ञों से प्रश्न पूछे'** की व्यवस्था के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा अपनी रूचि के कॅरियर व कंपनियों में भर्ती प्रकिया के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन व सलाह ली जा सकती

है।अतः इस हेतु विभिन्न कॅरियर विषय विशेषज्ञों का पोर्टल पर पंजीकरण [illegible] की जानी है।

6. एकीकृत पोर्टल पर विकसित लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम की व्यवस्था के अंतर्गत छात्र द्वारा भी अपनी रूचि/जिज्ञासा के अनुरूप पोर्टल पर उपलब्ध कॅरियर मार्गदर्शन संबंधी विडियोज के माध्यम से कॅरियर विषय का चयन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः कृपया रोजगार आयोग के निर्देशों के कम में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुणाल सिल्कू)
निदेशक

पत्रांकः 154/ई–2/रोजगार संगम/पोर्टल/2021 तद्दिनांकित
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप निदेशक, क्षेत्रीय सेवायोजन विकास कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालय, उत्तर प्रदेश।

15/3/24

(कुणाल सिल्कू)
निदेशक